

2-21/0

147/694/17
23/1/17



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो चण्डावली शर्मा 2. वर्तमान धारित पद सहायक सूर्य

3. वर्तमान वेतन 13000 + D.A. अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2017

(1)	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
①	स्वस्ती नगर इंजूर तह जिला भीपाल	E.W.S.-579 BN.-15 स्वस्ती नगर	4 लाख	स्वयं के नाम	खरीद	15,000	
②	इंजूर तह जिला भीपाल	सूनि-HIG- 34	20 लाख	पति व स्वयं के नाम	स्वयं, पति व माँ के नाम	निल	नैक से पता दिखाया अदा कर दिया
③	इंदौर मण्डल- 105 अकला नगर	मकान	12 लाख लक्ष	पति के नाम	स्वयं ने पति को प्रथम मंडिल के माह कर दे दिया है।	-	-
④	प्लान-21 मकान 5-1 चण्डावली नगर भीपाल	दुकान अंतर्गत का प्लॉट	8 लाख	पति के नाम	-	-	पति शिपार्ड हो गए है। अंश जुलाई 2016 में दिया है।

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर
 नाम चण्डावली शर्मा
 पद सहायक सूर्य-2